रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1 खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 11 फरवरी, 1981
माघ 22, 1902 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका अनुभाग-1

संख्या 376/सत्रह-वि0-6-121-78
लखनऊ, 11 फरवरी, 1981

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1980 पर दिनांक 4 फरवरी, 1981 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1981 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1980

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1981)

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।)

इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम इंटरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1980 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम

2—इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में खण्ड (ककक) में, अन्त में, शब्द "और धारा 3 के प्रयोजनों के सिवाय इसके अन्तर्गत अपर शिक्षा निदेशक भी है" बढ़ा दिये जायेंगे। संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 2 सन् 1921 की धारा 2 का संशोधन

धारा 16-क का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 16-क में, उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्—

"(7) जब कभी किसी संस्था के प्रबन्ध के संबंध में कोई विवाद हो, तब ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जिनका सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक द्वारा ऐसी जांच करने पर जिसे उचित समझा जाय, उसके कार्यकलापों पर वास्तविक नियंत्रण पाया जाय, गठित ऐसी संस्था की प्रबन्ध समिति को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ मान्यता दी जा सकती है जब तक कि सक्षम अधिकारितायुक्त कोई न्यायालय अन्यथा निदेश न दे :

प्रतिबन्ध यह है कि सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक इस उपधारा के अधीन कोई आदेश देने के पूर्व, प्रतिद्वन्दी दावेदारों को लिखित अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

स्पष्टीकरण—इस प्रश्न का अवधारण करने में कि संस्था के कार्यकलापों पर किस व्यक्ति का वास्तविक नियंत्रण है, सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक संस्था की निधि पर और उसके प्रशासन पर नियंत्रण को उसकी सम्पत्तियों से आय की प्राप्ति, उपधारा (5) के अधीन अनुमोदित प्रशासन योजना और अन्य सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा"।

धारा 16-ख का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 16-ख में, उपधारा (3) में, शब्द "धारा 16-घ की उपधारा (3) के खंड (क) या (ख)" के स्थान पर शब्द "धारा-16-घ की उपधारा (3)" रख दिये जायेंगे।

धारा 16-ग का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 16-ग में, उपधारा (1) में, शब्द "प्रशासन योजना को स्वीकृति प्रदान करने के सिद्धान्तों को शासित करने वाले विनियमों के अधीन रहते हुए" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए" रख दिये जायेंगे।

धारा 16-गग 16-गगग तथा 16-घघ का बढ़ाया जाना तथा धारा 16-घ का प्रतिस्थापन

6—मूल अधिनियम की धारा 16-घ के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्—

"16-गग—किसी ऐसी संस्था, जिसे इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1980 के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् मान्यता प्राप्त हो, के संबंध में प्रशासन योजना तृतीय अनुसूची में निर्धारित सिद्धान्तों से असंगत न होगी।

16—गगग (1)—जहां किसी संस्था के सम्बन्ध में, प्रशासन योजना इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1980 के प्रारम्भ के पूर्व किसी समय धारा 16-क, या धारा 16-ख या धारा 16-ग के अधीन अनुमोदित हो या अनुमोदित समझी गयी हो, और ऐसी प्रशासन योजना इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत हो, वहां निदेशक प्रशासन योजना में कोई परिवर्तन या उपान्तर का सुझाव देते हुए ऐसी संस्था को एक नोटिस ऐसे प्रारम्भ के छः मास की अवधि के भीतर भेजेगा और संस्था से नई प्रशासन योजना प्रस्तुत करने या वर्तमान योजना में संशोधन या परिवर्तन करने की अपेक्षा करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रशासन योजना में कोई सुझाव देते समय निदेशक उसके लिये अपने कारणों का उल्लेख करेगा और संस्था को ऐसी अवधि के भीतर जैसी नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाय, अभ्यावेदन देने का अवसर भी देगा।

(3) निदेशक उपधारा (2) के अनुसार दिये गये किसी अभ्यावेदन पर विचार करेगा और प्रशासन योजना को उसके मूल रूप में या उपधारा (1) के अधीन सुझाये गये किसी परिवर्तन या उपान्तर के अधीन रहते हुये या ऐसे किसी अन्य परिवर्तन के साथ जो उसे ठीक और उचित प्रतीत हो अनुमोदित कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां निदेशक प्रशासन योजना में किसी नये परिवर्तन या उपान्तर का प्रस्ताव करता है, वहां वह संस्था को ऐसी अवधि के भीतर जिसे वह विनिर्दिष्ट करे, अभ्यावेदन देने का अवसर देगा।

16-घ (1) निदेशक किसी मान्यता प्राप्त संस्था का समय-समय पर निरीक्षण करा सकता है।

(2) निदेशक निरीक्षण करने पर या अन्यथा पायी गयी किसी त्रुटि या कमी को दूर करने के लिए प्रबन्धाधिकरण को निदेश दे सकता है।

(3) यदि सूचना प्राप्त होने पर या अन्यथा निदेशक का यह समाधान हो जाय कि—

(एक) किसी संस्था की प्रबन्ध समिति किसी न्यायालय के निर्णय अथवा इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दिये गये किसी निदेश का पालन करने में विफल रही है, या

(दो) समिति ऐसी अर्हता के जो संस्था में शिक्षा के स्तर को बनाये रखने को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक है अध्यापक वर्ग को नियुक्त करने में विफल रही है या उसने इस अधिनियम या विनियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी अध्यापक वर्ग अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारी-वर्ग को नियुक्त किया है या सेवा में बनाये रखा है, या

(तीन) भिन्न-भिन्न व्यक्तियों द्वारा प्रबन्ध समिति के विधिपूर्ण पदधारी होने के अधिकार का दावा करने के संबंध में किसी विवाद से, सम्बद्ध संस्था के निर्बाध और सुव्यवस्थित प्रशासन पर प्रभाव पड़ा है, या

(चार) समिति संस्था के लिये ऐसा पर्याप्त और उचित स्थान, पुस्तकालय, फर्नीचर, लेखन सामग्री, प्रयोगशाला उपस्कर या अन्य सुविधाओं की, जो ऐसी संस्था के दक्ष प्रशासन के लिये आवश्यक है, व्यवस्था करने में लगातार विफल रही है, या

(पांच) समिति ने संस्था के हितों के प्रतिकूल उसकी पर्याप्त सम्पत्ति को अन्य कार्य में लगाया है, उसका दुरुपयोग या दुर्विनियोग किया है या किसी सम्पत्ति को उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थायें (आस्तियों के अपव्यय का निवारण) अधिनियम, 1974 के उपबन्धों का उल्लंघन करके अन्तरित किया है, या

(छः) प्रशासन योजना का प्रारूप धारा 16-ख के अधीन उसके लिये अनुज्ञात समय के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया है या संस्था का प्रबन्ध प्रशासन-योजना से भिन्न रूप में संचालित किया जा रहा है या संस्था के कार्यकलापों का अन्यथा कुप्रबन्ध किया जा रहा है, या

(सात) किसी संस्था की प्रशासन योजना, जो इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1980 के प्रारम्भ के पूर्व अनुमोदित की गई हो, इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत है, और संस्था की प्रबन्ध समिति धारा 16-गगग के अधीन नोटिस दिये जाने के बावजूद समुचित समय के भीतर उसमें परिवर्तन या उपान्तर करने में असफल रही है ;

तो वह मामले को ऐसी संस्था की मान्यता वापस लेने के लिये बोर्ड को निर्दिष्ट कर सकता है या प्रबन्ध समिति को नोटिस जारी कर सकता है कि वह नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर यह कारण बताये कि क्यों न उपधारा (4) के अधीन आदेश दिया जाय।

(4) जहां किसी संस्था की प्रबन्ध समिति उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर या ऐसे बढ़ाये गये समय के भीतर जैसा निदेशक समय-समय पर अनुमति दे, कारण बताने में विफल रहे, या जहां प्रबन्ध समिति द्वारा बताये गये कारण पर विचार करने के पश्चात् निदेशक का समाधान हो जाय कि उपधारा (3) में उल्लिखित कोई आधार विद्यमान है, वहां वह उस संस्था के लिये प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त करने के लिये राज्य सरकार को सिफारिश कर सकता है, और तदुपरान्त राज्य सरकार आदेश द्वारा, उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे किसी व्यक्ति को (जिसे आगे प्राधिकृत नियंत्रक कहा गया है) दो वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिये जैसी विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसी संस्था और उसकी सम्पत्तियों का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिये प्राधिकृत कर सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि संस्था और उसकी सम्पत्तियों के उचित प्रबन्ध को सुनिश्चित बनाये रखने के लिये ऐसा करना समीचीन है, तो वह समय-समय पर, उक्त आदेश के प्रवर्तन को एक बार में एक वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जैसी वह विनिर्दिष्ट करे, इस प्रकार बढ़ा सकती है कि आदेश के प्रवर्तन की कुल अवधि जिसके अन्तर्गत प्रारम्भिक आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि भी है किन्तु जिसमें उपधारा (8) में विनिर्दिष्ट अवधि सम्मिलित न होगी, पांच वर्ष से अधिक न हो :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि उक्त पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर संस्था की विधिपूर्ण गठित कोई प्रबन्ध समिति अस्तित्व में न हो तो प्राधिकृत नियंत्रक उस समय तक कार्य करता रहेगा जब तक कि राज्य सरकार का समाधान न हो जाय कि प्रबन्ध समिति का विधि पूर्ण गठन हो गया है।

(5) यदि सूचना प्राप्त होने पर या अन्यथा राज्य सरकार की राय हो कि किसी संस्था के संबंध में उपधारा (3) के खण्ड (तीन) या खंड (पांच) में उल्लिखित कारण विद्यमान हैं और संस्था के हित में तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक है तो वह उक्त उपधारा में किसी बात के होते हुये भी, ऐसी संस्था के प्रबन्धाधिकरण को नोटिस जारी कर सकती है कि वह नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर कारण बतायें कि क्यों न ऐसी संस्था के संबंध में प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया जाय।

(6) जहां सम्बद्ध संस्था की प्रबन्ध समिति उपधारा (5) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर या ऐसे बढ़ाये गये समय के भीतर, जैसा राज्य सरकार समय-समय पर अनुमति दे, कारण बताने में विफल रहती है या जहां प्रबन्ध समिति द्वारा बताये गये कारण पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि उपधारा (3) के खंड (तीन) या खंड (पांच) में उल्लिखित कोई कारण विद्यमान है वहां वह आदेश द्वारा और उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे ऐसी संस्था के संबंध में प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त कर सकती है और तदुपरान्त उपधारा (4) के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

(7) उपधारा (5) में निर्दिष्ट नोटिस तामील किये जाने के दिनांक को या इससे पूर्व उपधारा (3) के अधीन निदेशक द्वारा जारी की गयी प्रत्येक नोटिस जो ऐसी तामील के दिनांक को अन्तिम रूप से निस्तारित न की जा चुकी हो उक्त दिनांक से आस्थागित समझी जायगी:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार द्वारा उपधारा (5) के अधीन जारी की गयी नोटिस उन्मोचित हो जाय, तो इस उपधारा की कोई बात निदेशक को उपधारा (3) के खंड (तीन) और (पांच) में उल्लिखित कारणों से भिन्न कारणों से कार्यवाही करने में बाधक नहीं समझी जायगी।

(8) यदि राज्य सरकार की राय हो कि सम्बद्ध संस्था के हित में प्रबन्ध समिति को भी तुरन्त निलम्बित करना आवश्यक या समीचीन है तो वह उपधारा (5) के अधीन नोटिस जारी करते समय, आदेश द्वारा और उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायगे, प्रबन्ध समिति को निलम्बित कर सकती है और संस्था के कार्यकलापों का प्रबन्ध करने के लिए, बाद में उपधारा (6) के अधीन होने वाले आदेश तक की अवधि के लिये ऐसी व्यवस्था कर सकती है जिसे वह उचित समझे:

प्रतिबन्ध यह है कि निलम्बन उस दिनांक से जब वह प्रभावी हो छः मास से अधिक के लिये प्रवृत्त नहीं रहेगा।

<u>स्पष्टीकरण</u>—एक—सन्देहों को दूर करने के लिये एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि उपधारा (4) या उपधारा (8) में विनिर्दिष्ट समयावधि की गणना करने में उतनी अवधि को अपवर्जित किया जायगा जिसके दौरान आदेश का प्रवर्तन उच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, निलम्बित किया गया हो।

<u>स्पष्टीकरण</u>—दो—उपधारा (4) या उपधारा (8) की कोई बात राज्य सरकार को उक्त किन्हीं उपबन्धों के अधीन नियुक्त प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति के आदेश को प्रतिसंहृत करने से प्रवारित नहीं करेगी।

(9) इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि उपधारा (4) या उपधारा (8) के अधीन नियुक्त प्राधिकृत नियंत्रक को संस्था की किसी स्थावर सम्पत्ति का (प्रबन्ध के सामान्य-क्रम में माह प्रति माह किराये पर देने के सिवाय) अन्तरण करने या उसे भारित करने (सिवाय राज्य सरकार या भारत सरकार से संस्था के लिये कोई सहायक अनुदान प्राप्त करने की शर्त के रूप में) की शक्ति है।

(10) इस धारा के अधीन दिया गया कोई आदेश संस्था या उसकी सम्पत्ति के प्रबन्ध और नियंत्रण से संबंधित किसी अन्य अधिनियमिति या किसी लिखत (जिसके अन्तर्गत कोई प्रशासन योजना भी है) में निहित किसी असंगत बात के होते हुए भी, प्रभावी होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि संस्था की सम्पत्ति और उससे प्राप्त किसी आय का उपयोग किसी ऐसे लिखित में यथा उपबन्धित संस्था के प्रयोजनों के लिए किया जाता रहेगा।

(11) निदेशक प्राधिकृत नियंत्रक को ऐसे निदेश दे सकता है, जैसे वह संस्था या उसकी सम्पत्ति के समुचित प्रबन्ध के लिये आवश्यक समझे, और प्राधिकृत नियंत्रक उन निदेशों को कार्यान्वित करेगा।

(12) उपधारा (3) के अधीन किये गये निदेश के अनुसरण म बोर्ड द्वारा मान्यता वापस लेने के किसी आदेश और निदेशक या राज्य सरकार द्वारा इस धारा के अधीन दिये गये किसी आदेश या निदेश पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी, और इस धारा के द्वारा या अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गयी या की जाने वाली किसी कार्यवाही के संबंध में किसी न्यायालय द्वारा कोई व्यादेश नहीं दिया जायेगा।

(13) इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन राज्य सरकार या प्राधिकृत नियंत्रक को प्रदत्त किन्हीं शक्तियों के अतिरिक्त होंगी, न कि उनका अल्पीकरण करेंगी।

(14) उपधारा (3) से (13) की कोई बात भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खंड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी संस्था पर लागू नहीं होगी।

16--घ-घ (1) जहां धारा 16-घ की उपधारा (4) या उपधारा (8) के अधीन कोई प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया जाय, वहां---

(क) वह सम्बद्ध संस्था और उसकी सम्पत्ति का प्रबन्ध, उसकी प्रबन्ध समिति को अपवर्जित करके, अपने अधिकार में ले लेगा और उसे ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जैसा राज्य सरकार आरोपित करे, ऐसी समस्त शक्तियां और प्राधिकार होंगे, जैसे समिति को प्राप्त होते यदि संस्था और उसकी सम्पत्ति उक्त उपधाराओं के अधीन अधिकार में न ली गयी होती;

(ख) प्रत्येक व्यक्ति जिसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में संस्था की कोई सम्पत्ति हो, तुरन्त ऐसी सम्पत्ति को प्राधिकृत नियंत्रक को सौंप देगा।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जिसके कब्जे या नियंत्रण में धारा 16-घ की उपधारा (4) या उपधारा (8) में निर्दिष्ट आदेश को दिनांक को संस्था या उसकी सम्पत्ति से सम्बद्ध कोई पुस्तक या अन्य दस्तावेज है, प्राधिकृत नियंत्रक को उक्त पुस्तक और अन्य दस्तावेज देने के लिये उत्तरदायी होगा, और उन्हें उसको या ऐसे व्यक्ति को देगा जिसे प्राधिकृत नियंत्रक इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

(3) प्राधिकृत नियंत्रक संस्था या उसकी सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर कब्जा और नियंत्रण दिये जाने के लिये कलेक्टर को आवेदन कर सकता है, और कलेक्टर प्राधिकृत नियंत्रक को ऐसी संस्था या सम्पत्ति का कब्जा दिलाने के लिए समस्त आवश्यक कार्यवाही कर सकता है और विशिष्ट रूप से ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो।

स्पष्टीकरण---इस धारा और धारा 16-घ में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, किसी संस्था के संबंध में, "सम्पत्ति" के अन्तर्गत संस्था के स्वामित्वाधीन या उसके लाभ के लिए पूर्णतः या अंशतः विन्यासित ऐसी समस्त जंगम और स्थावर सम्पत्ति है जिसमें भूमि, भवन (छात्रावास सहित), निर्माण-कार्य, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, उपकरण, उपस्कर, फर्नीचर, लेखन-सामग्री, स्टोर, आटोमोबाइल और अन्य गाड़ियां, यदि कोई हों, सम्मिलित हैं और संस्था से संबंधित अन्य वस्तुयें, हस्तस्थ नकदी, बैंक नकदी, फीस से आय, छात्र निधि और सरकारी अनुदान, विनियोग और बही ऋण, और ऐसी सम्पत्ति से जो संस्था के स्वामित्व, कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में हो, उत्पन्न होने वाले समस्त अन्य अधिकार और हित, और समस्त लेखा बही, रजिस्टर और उससे संबंधित किसी भी प्रकार के समस्त अन्य दस्तावेज भी हैं और इसके अन्तर्गत संस्था पर सभी प्रकार के समस्त उधार, दायित्व और बाध्यतायें भी समझी जायेंगी।"

7---मूल अधिनियम की धारा 16-ङ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्---

नयी धारा 16-ङङ का बढ़ाया जाना

छंटनी किये गये कर्मचारियों का आमेलन

"16-ङङ---(1)---जहां किसी संस्था के किसी कर्मचारी की छंटनी 1 जुलाई, 1974 को या उसके पश्चात् किन्तु इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1980 के प्रारम्भ के पूर्व की गयी हो, और ऐसा कर्मचारी मूल नियुक्ति के दिनांक को उसके लिए विहित न्यूनतम अर्हता रखता हो, वहां सम्भागीय शिक्षा उप-निदेशक इस निमित्त आवेदन-पत्र दिये जाने पर निदेश देगा कि इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसे कर्मचारी को उसी संस्था में या उसकी अधिकारिता के भीतर किसी जिले में स्थित किसी अन्य संस्था में होने वाली किसी स्थायी रिक्ति में आमेलित किया जाय:

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे प्रारम्भ के दिनांक को या उसके पश्चात् छंटनी किये गये किसी कर्मचारी के मामले में सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक सम्बद्ध कर्मचारी के आवेदन-पत्र के बिना इस धारा के अधीन निदेश देगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन-पत्र इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1980 के प्रारम्भ के दिनांक से छः मास के भीतर दिया जायगा।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक द्वारा कोई निदेश जारी किया जाय, वहां निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात्---

(एक) सम्बद्ध संस्था की प्रबन्ध समिति प्रत्येक ऐसे निदेश का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगी और ऐसे कर्मचारी को, जिसके पक्ष में ऐसा निदेश दिया जाय,

समिति द्वारा उसे जारी किये गये नियुक्ति के आदेश के दिनांक से या उपधारा (1) के अधीन प्रबन्ध समिति पर निदेश तामील किये जाने के दिनांक से दो मास की अवधि की समाप्ति से, जो भी पहले हो, ऐसी संस्था का कर्मचारी समझा जायगा।

(दो) ऐसे कर्मचारी द्वारा अपनी छंटनी के दिनांक के पूर्व किसी संस्था में की गयी मौलिक सेवा की अवधि की गणना उसकी ज्येष्ठता और पेंशन के प्रयोजनों के लिये की जायगी।

(तीन) जहां सम्बद्ध कर्मचारी पद का कार्यभार इस निमित्त दिये गये समय के भीतर ग्रहण करने में चूक करता है, वहां इस धारा का लाभ उसे उपलब्ध नहीं होगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन दिये गये निदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे निदेश की तामील के दिनांक से एक मास के भीतर निदेशक को अभ्यावेदन कर सकता है, और उस पर निदेशक का आदेश अन्तिम होगा।

(5) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनार्थ,—

(क) किसी संस्था के संबंध में 'कर्मचारी' का तात्पर्य उस संस्था के ऐसे अध्यापक, संस्था के प्रधान या अन्य कर्मचारी से है जो छंटनी के दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को स्थायी पद पर हो;

(ख) "संस्था" के अन्तर्गत राज्य सरकार या निदेशक द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था भी है;

(ग) किसी संस्था के किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में "छंटनी" का तात्पर्य त्याग-पत्र, सेवानिवृत्ति या अनुशासनिक कार्यवाही में दंड स्वरूप हटाये जाने के कारण से भिन्न किसी कारण से उसकी सेवाओं की समाप्ति से है।"

धारा 16-ज का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 16-ज में, उपधारा (1) में, शब्द और अंक "उपधारा (2) से (7)" के स्थान पर शब्द और अंक "उपधारा (2) से उपधारा (13)" रख दिये जायेंगे।

अनुसूची का बढ़ाया जाना

9—मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

"तृतीय अनुसूची
(धारा 16-गग देखिये)

सिद्धान्त जिन पर प्रशासन योजना का अनुमोदन किया जायगा

प्रत्येक प्रशासन योजना में,—

(1) प्रबन्ध समिति के समुचित और प्रभावी कार्य करने की व्यवस्था होगी;

(2) नियतकालिक निर्वाचनों द्वारा प्रबन्ध समिति का गठन करने की प्रक्रिया की व्यवस्था होगी;

(3) प्रबन्ध समिति के सदस्यों और पदाधिकारियों की अर्हताओं और अनर्हताओं और उनकी पदावधि की व्यवस्था होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी प्रशासन योजना में ऐसे कोई उपबन्ध नहीं होंगे जो किसी व्यक्ति, जाति, पंथ, धर्म या परिवार विशेष के पक्ष में एकाधिकार उत्पन्न करते हों।

(4) बैठक बुलाने और ऐसी बैठकों में कार्य संचालन की प्रक्रिया की व्यवस्था होगी;

(5) यह व्यवस्था होगी कि सभी विनिश्चय प्रबन्ध समिति द्वारा किये जायं और प्रत्यायोजन की शक्ति, यदि कोई हो, सीमित और स्पष्ट रूप से परिभाषित होगी;

(6) यह सुनिश्चित किया जायगा कि प्रबन्ध समिति और उसके पदधारियों की शक्तियां और कर्तव्य स्पष्ट रूप से परिभाषित हों;

(7) संस्था की सम्पत्ति के अनुरक्षण और उसकी सुरक्षा और उसकी निधि का उपयोग करने की भी और लेखों की नियमित जांच और लेखा परीक्षा की भी व्यवस्था होगी।"

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र देव शर्मा,
सचिव।

No. 376(2)/XVII-V-1—121-78
Dated Lucknow, February 11, 1981

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Intermediate Shiksha (Sanshodhan) Adhiniyam, 1980 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 1 of 1981) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on February 4, 1981 :

THE INTERMEDIATE EDUCATION (AMENDMENT) ACT, 1980

[U. P. Act no. 1 of 1981]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Intermediate Education Act, 1921

It is hereby enacted in the Thirty-first Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Intermediate Education (Amendment) Act, 1980.

Amendment of section 2 of U.P. Act II of 1921.

2. In section 2 of the Intermediate Education Act, 1921, hereinafter referred to as the principal Act, in clause *(aaa)*, the words "and except for purposes of section 3, includes an Additional Director of Education" shall be *inserted* at the end.

Amendment of section 16-A.

3. In section 16-A of the principal Act, *after* sub-section (6), the following sub-section shall be *inserted,* namely :—

"(7) Whenever there is dispute with respect to the Management of an institution, persons found by the Regional Deputy Director of Education, upon such enquiry as is deemed fit to be in actual control of its affairs may, for purposes of this Act, be recognised to constitute the Committee of Management of such institution until a court of competent jurisdiction directs otherwise :

Provided that the Regional Deputy Director of Education shall, before making an order under this sub-section, afford reasonable opportunity to the rival claimants to make representations in writing.

Explanation—In determining the question as to who is in actual control of the affairs of the institution, the Regional Deputy Director of Education shall have regard to the control over the funds of the institution and over the administration, the receipt of income from its properties, the Scheme of Administration approved under sub-section (5) and other relevant circumstances."

Amendment of section 16-B.

4. In section 16-B of the principal Act, in sub-section (3), *for* the words "clause *(a)* or *(b)* of sub-section (3) of section 16-D" the words "sub-section (3) of section 16-D" shall be *substituted.*

Amendment of section 16-C.

5. In section 16-C of the principal Act, in sub-section (1), *for* the words "Subject to the regulations governing the principles for according approval to the Scheme of Administration", the words "Subject to the provisions of this Act" shall be *substituted.*

Insertion of sections 16-CC, 16-CCC and 16-DD and substitution of section 16-D.

6. *For* section 16-D of the principal Act, the following sections shall be *substituted,* namely :—

"16-CC. The Scheme of Administration in relation to any institution, whether recognised before or after the commencement of the Intermediate Education (Amendment) Act, 1980, shall not be inconsistent with the principles laid down in the Third Schedule.

16-CCC. (1) Where in relation to any institution, the Scheme of Administration has been or deemed to have been approved under section 16-A, or section 16-B or section 16-C, at any time before the commencement of the Intermediate Education (Amendment) Act, 1980, and such Scheme of Administration is inconsistent with the provisions of this Act, the Director shall send, within a period of six months from such commencement, a notice to such institution suggesting any alteration or modification therein and requiring the institution to submit a fresh Scheme of Administration or to amend or alter the existing Scheme.

(2) While making any suggestion in the Scheme of Administration under sub-section (1), the Director shall give his reasons therefor and shall also afford an opportunity to the institution to make a representation within such period as may be specified in the notice.

(3) The Director shall consider any representation made in accordance with sub-section (2) and may approve the Scheme of Administration in its original form or subject to any alteration or modification suggested under sub-section (1) or with any other changes as may appear to him to be just and proper :

Provided that where the Director proposes to make any new alteration or modification in the Scheme of Administration, he shall give an opportunity to the institution to make a representation within such period as may be specified by him.

16-D. (1) The Director may cause a recognised institution to be inspected from time to time.

(2) The Director may direct a management to remove any defect or deficiency found on inspection or otherwise.

(3) In on the receipt of information or otherwise, the Director is satisfied that—

(i) the Committee of Management of an institution has failed to comply with the judgment of any court or any direction made under this Act or any other law for the time being in force : or

(ii) the Committee has failed to appoint teaching staff possessing such qualifications as are necessary for the purpose of ensuring the maintenance of academic standard in the institution or has appointed or retained in service any teaching or non-teaching staff in contravention of the provisions of this Act or the Regulations ; or

(iii) any dispute with respect to the right claimed by different persons to be lawful office-bearers of the Committee of Management has affected the smooth and orderly administration of the institution concerned ; or

(iv) the Committee has persistently failed to provide the institution with such adequate and proper accommodation, library, furniture, stationery, laboratory equipment or other facilities as are necessary for the efficient administration of such institution : or

(v) the Committee has substantially diverted, misapplied or misappropriated the property of the institution to its detriment or has transferred any property in contravention of the provisions of the Uttar Pradesh Educational Institutions (Prevention of Dissipation of Assets) Act, 1974 ; or

(vi) the draft of the Scheme of Administration has not been submitted within the time allowed therefor under section 16-B, or that the Management of the institution is being conducted otherwise than in accordance with the Scheme of Administration or the affairs of the institution are being otherwise mis-managed ;

(vii) the Scheme of Administration in relation to an institution, approved before the commencement of the Intermediate Education (Amendment) Act, 1980, is inconsistent with the provisions of this Act and the management of the institution has failed to alter or modify it within a reasonable time despite notice under section 16-CCC ;

he may refer the case to the Board for withdrawal of recognition of such institution, or issue notice to the Committee of Management to show cause within thirty days from the date of receipt of such notice why an order under sub-section (4) should not be made.

(4) Where the Committee of Management of an institution fails to show cause within the time allowed under sub-section (3) or within such extended time as the Director may from time to time allow, or where the Director is, after considering the cause shown by the Committee of Management, satisfied that any of the grounds mentioned in sub-

section (3) exists, he may, recommend to the State Government to appoint an Authorised Controller for that institution, and thereupon, the State Government may, by order, for reasons to be recorded, authorise any person (hereinafter referred to as the Authorised Controller) to take over, for such period not exceeding two years, as may be specified, the Management of such institution and its properties :

Provided that if the State Government is of opinion that it is expedient so to do in order to continue to secure the proper management of the institution and its properties, it may, from time to time, extend the operation of the order, for such period, not exceeding one year at a time, as it may specify, so however, that the total period of operation of the order, including the period specified in the initial order, but excluding the period specified in sub-section (8), does not exceed five years :

Provided further that if at the expiration of the said period of five years, there is no lawfully constituted Committee of Management of the institution, the Authorised Controller shall continue to function as such, until the State Government is satisfied that a Committee of Management has been lawfully constituted.

(5) If on the receipt of information or otherwise, the State Government is of opinion that in relation to an institution the ground mentioned in clause (iii) or clause (v) of sub-section (3) exists, and that the interest of the institution calls for immediate action, it may, notwithstanding anything contained in the said sub-section, issue notice to the Management of such institution to show cause within fifteen days from the date of receipt of such notice why an Authorised Controller be not appointed in respect of such institution.

(6) Where the Committee of Management of the concerned institution fails to show cause within the time allowed under sub-section (5), or within such extended time as the State Government may, from time to time allow, or where the State Government is, after considering the cause shown by the Committee of Management, satisfied that any of the grounds mentioned in clause (iii) or clause (v) of sub-section (3) exists, it may, by order and for reasons to be recorded, appoint an Authorised Controller in respect of such institution, and thereupon, the provisions of sub-section (4) shall, *mutatis mutandis* apply.

(7) Every notice issued by the Director under sub-section (3) on or before the service of the notice referred to in sub-section (5) and not finally disposed of on the date of such service shall, with effect from the said date, be deemed to have been placed in abeyance :

Provided that nothing contained in this sub-section shall be deemed to prevent the Director to take action upon grounds other than those mentioned in clauses (iii) and (v) of sub-section (3) in case the notice issued by the State Government under sub-section (5) is discharged.

(8) If the State Government is of opinion that immediate suspension of the Committee of Management is also necessary or expedient in the interest of the institution concerned, it may, while issuing notice under sub-section (5), by order and for reasons to be recorded, suspend the Committee of Management and make such arrangement as it thinks proper for managing the affairs of the institution pending the order that may subsequently be made under sub-section (6):

Provided that the suspension shall not remain in force for more than six months from the date it becomes effective.

Explanation I—For the removal of doubts it is hereby declared that in computing the period of time specified in sub-section (4) or sub-section (8), the time during which the operation of the order was suspended by the High Court in exercise of the powers under Article 226 of the Constitution shall be excluded.

Explanation II—Nothing in sub-section (4) or sub-section (6) shall preclude the State Government from revoking an order of appointment of an Authorised Controller appointed under any of the said provisions.

(9) Nothing in this section shall be construed to confer on the Authorised Controller appointed under sub-section (4) or sub-section (8), the power to transfer any immovable property belonging to the institution (except by way of letting from month to month in the ordinary course of management) or to create any charge thereon (except as a condition of receipt of any grant-in-aid for the institution from the State Government or the Government of India).

(10) Any order made under this section shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other enactment or in any instrument (including any Scheme of Administration) relating to the management and control of the institution or its property:

Provided that the property of the institution and any income therefrom shall continue to be applied for the purposes of the institution as provided in any such instrument.

(11) The Director may give to the Authorised Controller such directions as he may deem necessary for the proper management of the institution or its properties, and the Authorised Controller shall carry out those directions.

(12) No order made by the Board withdrawing recognition in pursuance of a reference made under sub-section (3) and no order made or direction given under this section by the Director or the State Government shall be called in question in any court, and no injunctions shall be granted by any court in respect of any action taken or to be taken in pursuance of any power conferred by or under this section.

(13) The powers conferred by this section shall be in addition to, and not in derogation of any powers conferred on the State Government or the Authorised Controller under any other law for the time being in force.

(14) Nothing contained in sub-sections (3) to (13) shall apply to an institution established and administered by a minority referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India.

16-DD. (1) Wherever an Authorised Controller is appointed under sub-section (4) or sub-section (8) of section 16-D—

(*a*) he shall take over the Management of the concerned institution and its properties to the exclusion of its Committee of Management, and shall, subject to such restrictions as the State Government may impose, have all such powers and authority as the Committee would have if the institution and its properties were not taken over under the said sub-sections;

(*b*) every person in whose possession, custody or control any property of the institution may be, shall deliver such property to the Authorised Controller forthwith.

(2) Every person who on the date of the order referred to in sub-section (4) or sub-section (8) of section 16-D has in his possession or control any books or other documents relating to the institution or to its property shall be liable to account for the said books and other documents to the Authorised Controller, and shall deliver them to him or to such person as the Authorised Controller may specify in this behalf.

(3) The Authorised Controller may apply to the Collector for delivery of possession and control over the institution or its properties or any part thereof, and the Collector may take all necessary steps for securing possession to the Authorised Controller of such institution or property, and in particular, may use or cause to be used such force as may be necessary.

Explanation—In this section and section 16-D, unless the context otherwise, requires, 'property' in relation to an institution, includes all property, movable and immovable belonging to or endowed wholly or partly for the benefit of the institution including lands, buildings (including hostels), works, library, laboratory, instruments, equipment, furniture, stationery, stores, automobiles and other vehicles, if any, and

other things pertaining to the institution, cash in hand, cash at bank, income from fees, boys funds and Government grants, investments and book debts, and all other rights and interests arising out of such property as may be in the ownership, possession power or control of the institution and all books of accounts, registers and all other documents of whatever nature relating thereto, and shall also be deemed to include all subsisting borrowings, liabilities and obligations of whatever kind, of the institution."

Insertion of new section 16-EE.

7. *After* section 16-E of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :—

Absorption of retrenched employees.

"16-EE. (1) Where any employee of an institution has been retrenched on or after July 1, 1974 but before the commencement of the Intermediate Education (Amendment) Act, 1980, and such employee possesses minimum qualifications prescribed therefor on the date of initial appointment the Regional Deputy Director of Education shall, on an application made in this behalf, direct that subject to the provisions of this section, such employee be absorbed against any permanent vacancy occurring in the same or any other institution situate in any district within his jurisdiction :

Provided that in the case of an employee retrenched on or after the date of such commencement the Regional Deputy Director of Education may issue directions under this section without any application from the employee concerned.

(2) Every application referred to in sub-section (1) shall be made within six months from the date of commencement of the Intermediate Education (Amendment) Act, 1980.

(3) Where any direction is issued by the Regional Deputy Director of Education under sub-section (1) the following consequences shall *ensue*, namely :—

(i) the Committee of Management of the institution concerned shall be bound to comply with every such direction, and the employee in whose favour such direction is issued shall be deemed to be an employee of such institution from the date of the order of appointment issued by the Committee to him or from the expiry of a period of two months from the date of service of the direction on the Committee of Management under sub-section (1), whichever is earlier.

(ii) the period of substantive service rendered by such employee in any institution before the date of his retrenchment shall be counted for the purposes of his seniority and pension.

(iii) where the employee concerned fails to join the post within the time allowed therefor, the benefits of this section shall not be available to him.

(4) Any person aggrieved by the direction issued under sub-section (1) may make a representation to the Director within one month from the date of service on him of such direction, and the order of the Director thereon shall be final.

(5) The provisions of this section shall have effect notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act or any other law for the time being in force.

Explanation—For the purposes of this section—

(*a*) 'employee' in relation to an institution means a teacher, head of institution or other employee thereof holding a permanent post on the date immediately preceding the date of retrenchment;

(*b*) 'institution' includes a training institution recognised by the State Government or the Director ;

(*c*) retrenchment in relation to an employee of an institution means the termination of his services for any reason other than resignation, retirement or removal by way of punishment inflicted in disciplinary proceedings."

Amendment of section 16-H.

8. In section 16-H of the principal Act, in sub-section (1) *for* the word "sub-sections (2) to (7)", the words "sub-section (2) to sub-section (13)" shall be *substituted.*

Insertion of a new Schedule.

9. *After* the second Schedule to the principal Act, the following Schedule shall be *inserted,* namely—

"THIRD SCHEDULE

(See Section 16-CC)

Principles on which approval to a Scheme of Administration shall be accorded

Every Scheme of Administration shall,—

(1) provide for proper and effective functioning of the Committee of Management ;

(2) provide for the procedure for constitution the Committee of Management by periodical elections ;

(3) provide for the qualifications and disqualifications of the members and office-bearers of the Committee of Management and the term of their offices :

Provided that no such Scheme shall contain provisions creating monopoly in favour of any particular person, caste, creed, religion or family;

(4) provide for the procedure of calling meetings and the conduct of business at such meetings ;

(5) provide that all the decisions shall be taken by the Committee of Management and powers of delegation, if any, shall be limited and clearly defined ;

(6) ensure that the powers and duties of the Committee of Management and its office-bearers are clearly defined ;

(7) provide for the maintenance and security of property belonging to the institution and also for the utilization of its funds and for the regular checking and auditing of accounts."

By order,
R. C. DEO SHARMA,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 229 मा० (विधा०)—12-2-81—(3713)—1981—700 (मैक०)।